उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, वह तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश और 30 न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। इसका कार्यक्रम अंग्रेजी में किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के कार्यक्रम को विनियमित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के नियम, 1996 में लागू किया गया है।

हम भी समाज के मुख्यधारा में है

किन्नरों के अधिकार : उच्चतम न्यायालय का फैसला

निर्णय का मुख्य रूप

- हिजरा, एंचस को भी 'तीसरे लिंग' के रूप दिया जाता है क्योंकि संविधान के तीसरे भाग और संसद तथा राज्य सभा से दिए गए उनके अधिकारों को सुरक्षित करना है।
- किन्नरों को अपने लिंग को फैसले को बरकरार रखने का अधिकार है और राज्य सरकार को उनके कानूनी मान्यता देने की बात बताया गया है।

- हम केंद्रीय और राज्य सरकारों को उन्हे सामाजिक और शैक्षिक में पिछडा वर्ग के रूप में सभी सुविधाएँ देने के लिए सलाह देते है।
- केंद्रीय और राज्य सरकार हिजरा/किन्नरों के समस्याओं का समाधान निकालना है जैसे लज्जा, लिंग डिस्प्लोरिया, सामाजिक कलंक, डिप्रेशन आदि और किसी एक लिंग को अनैतिक और अवैध करना मना है।
- केंद्रीय और राज्य सरकार उनके स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर सार्थक कार्य करना है जैसे अस्पताल में, निजी शौचालय और अन्य सुविधाएँ।
- केंद्रीय और राज्य सरकार को उनके उद्धार के लिए कई सामाजिक कल्याण योजनाएँ बनाना चाहिए।
- केंद्रीय और राज्य सरकार को जन जागरूकता करना चाहिए ताकि वे भी ऐसे सोचेंगे कि वे इस समाज के अंग है और वे अछूत नहीं है।
- केंद्रीय और राज्य सरकार को यह कदम उठाना चाहिए कि वे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अपना आदर हासिल करना चाहिए जैसे पहले हो रहा था।
- तीन महीनो में किन्नरों के समस्याओं का गहरा अध्ययन करने और उसे सुधारने का रास्ता दिखाने तथा रिपोर्ट देने के लिए एक्सपेर्ट कमीटी को सलाह दिया गया है।ये सब कानूनी घोषणा के अनुसार होना और कार्यान्वयन करना आवश्यक है।

मूल अधिकार

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुसार यह हरेक नागरीक का मूल अधिकार है कि भारत में रहते समय वह शांति से रहेगा। इसमें कानून के सामने सब बराबर, भाषण देना और अभिव्यक्ति करना, शांतिपूर्ण संगति, धर्म और जाति का अधिकार तथा नागरिक अधिकार की सुरक्षा करना आदि के बारे में दिया गया है।

अनुच्छेद 14

भारत में कोई भी राज्य नागरीक के समानता या कानून की सुरक्षा को मना नही कर सकता है।

15. धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के कारण भेदभाव करना मना है।

1. कोई भी राज्य नागरीक के धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान या कोई एक के कारण भेदभाव नहीं दिखा सकता है।
2. किसी को भी धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान को कारण बनाकर भेदभाव नहीं दिखा सकता। नीचे दिए गए सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता
   - अ. दूकान, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान या होटल
   - आ. आम जनता के कुएँ, तालाब, नहाने के स्थान और सार्वजनिक रेसार्ट

3. यह अनुच्छेद स्त्री और बच्चों के कोई खास सुविधाओं को रोक नहीं सकता

4 .यह अनुच्छेद या अनुच्छेद के क्लास 2 सामाजिक और शैक्षिक में पिछडे वर्ग के नागरीक या शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्रैब्स के सुविधाओं को नहीं रोक सकता।

16. 1. राज्य में सभी दफ्तर में रोजगार या नियुक्ति का मौका सभी नागरीकों को बराबर होना चाहिए।

2. किसी को भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रहने का स्थान या इनमें से किसी एक कारणवश रोजगार में भेदभाव नहीं दिखा सकता।

3. यह अनुच्छेद दफ्तर के रोजगार, नियुक्ति संबंधित कानून बनाने से संसद को रोक नहीं सकता।

4. यह अनुच्छेद नियुक्ति के आरक्षण के लिए पिछडे वर्ग के नागरीकों को रिज़र्वेशन करने से रोक नहीं सकता।

21. कानून के तरीके के सिवा कोई भी इससे वंचित नहीं किया जाएगा।

''अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के हृदय के रूप में है जिसमें अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में है। जीने का अधिकार तो मूल अधिकार है और राज्य को भी उसे छीनने का अधिकार नहीं है।

अनुच्छेद 21 आदमी के जीवन को सार्थक बनाने का काम करता है।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

प्रस्तावना

मानव अधिकार के इतिहास में यह सार्वभौमिक घोषणा एक रुकावट है।

पहले पहल यह घोषणा पारिस में 10 दिसंबर 1048 में मानव अधिकार को सुरक्षित करने का फैसला करके घोषित किया।

अनुच्छेद 1

हरेक मनुष्य स्वतंत्र, दर्जा, अधिकार और गौरव में समान रूप से जन्म लेता है। सबको एक दूसरे से भाईचारे के भाव से रहना चाहिए।

अनुच्छेद 2

इस घोषणा में हरेक को धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा, लिंग या राजनैतिक, राष्ट्रीय या सामाजिक दर्जा पर भेदभाव के बिना अपने अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखने की अनुमति है।और राजनैतिक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कारण यदि वह स्वतंत्र हो या निजी का न हो पर भेदभाव नहीं दिखाना चाहिए।

अनुच्छेद 3

इस घोषणा में हरेक को धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा, लिंग या राजनैतिक, राष्ट्रीय या सामाजिक दर्जा पर भेदभाव के बिना अपने अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखने की अनुमति है।और राजनैतिक, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कारण यदि वह स्वतंत्र हौ या निजी का न हो पर भेदभाव नहीं दिखाना चाहिए।

हरेक मनुष्य का जीने, स्वतंत्र रहने और सुरक्षित होने का अधिकार है।

अनुच्छेद 4

कोई भी गुलाम या दासत्व , गुलामी और गुलामी का व्यापार निषेध है।

अनुच्छेद 5

कोई भी अत्याचार या दंड भोगने की आवश्यक नहीं है।

अनुच्छेद 6

कानून के सामने हरेक को अपना मान्यता पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 7

कानून के सामने सब बराबर है और भेदभाव के बिना सबको समान सुरक्षा मिलनी चाहिए।

अनुच्छेद 8

हरेक को संसद के अपने अपने राष्ट्रीय अधिकरणों का अनुभव करना चाहिए।

अनुच्छेद 9

किसी को भी मनमाना गिरफतार, नजरबंद या देश निष्कासित न किया जाएगा

अनुच्छेद 10

सभी को पूर्णतः समान रूप से हक है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के निश्चय करने के मामले में और उन पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उनकीर सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालन द्वारा हो।

अनुच्छेद 11

1. प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दण्डनीय अपराध का आरोप किया गा हो, तब तक निरपराध माना जाएगा, जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में जहॉ उसे अपनी सफ़ाई की सभी आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हों, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया जाए।
2. कोई भी वयक्ति किसी भी ऐसे कृत या अकृत के कारण उस सदण्डनीय अपराध का अपराधी न माना जाएगा, जिसे तत्कालीन प्रचलित राष्ट्रभ्य या अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध न माना जाए और न उससे अधिक भारी दण्ड जा सकेगा, जो उस समय वह दण्डनीय अपराध किया गया था।

अनुच्छेद 12

किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्रव्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी` सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप या आक्षेपों के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 13

1. प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सामीमाओं के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक आने, जाने और बसने का अधिकार है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने या पराये किसी भी देश को छोडने और अपने देश को वापस आने का अधिकार है।

अनुच्छेद 14

1. प्रत्येक व्यक्ति को सताये जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और रहने का अधिकार है।

2. इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नही मिलेगा जो वास्तव में गैर राजनीतिक अपराधों से संबंधित है, या जो संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य हैं।

अनुच्छेद 15

1. प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र विशेष को नागरिकता का अधिकार है
2. किसी को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित न किया जाएगा या नागरिकता का परिवर्तन करने से मनान किया जाएगा।

अनुच्छेद 16

1. स्त्री पुरुषें को बिना किसी जाति, रपाष्ट्रीयता या धर्म की रुकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार को स्थापना करने का अधिकार है। उन्हें विवाह के विषय में वैवाहिक जीवन में, तथा विवाह विच्छेद के बारे में समान अधिकार है।
2. विवाह का इरादा रखनेवाले स्त्री पुरुषों की पूर्ण और स्वतंत्र सहमति पर ही विवाह हो सकेगा।
3. परिवार समाज की स्वाभाविक और बुनियादी सामूहिक इकाई है और उसे समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 17

1. प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ मिलकर सम्मति रखने का अधिकार है।

2. किसी को भी मनमाने ढंग से अपनी सम्मति से वंचित न किया जाएगा।

अनुच्छेद 18

प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अपना धर्म या विश्वास बदलने और अकेले या दूसरों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप में अथवा निजी तौर पर अपने धर्म या विश्वास को शिक्षा, क्रिया, उपासना, तथा व्यवहार के द्वारा प्रकट करने की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 19

प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखना और किसी भी माध्यम क जरिए से तथा सीमाओं की परवाह न कर के किसी की सूचना और धारणा का अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान सम्मिलित है।

अनुच्छेद 20

1. प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने या समिति बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है।
2. किसी को भी किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 21

1. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रू॰ सोचुने गए प्रतिनिधियों के जरिए हिस्सरा लेने का अधिकार है।

2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी नौकरियों को प्रापत करने का समान अधिकार है।
3. सरकार की सत्ता का आधार जनता की इच्छा होगी। इस इच्छा का प्रकटन समय समय पर और असली चुनावों द्वारा होगा। ये चुनाव सार्वभौम और समान मता अधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा या किसी अन्य समान स्वतः मतदान पद्धति से कराये जाएँगे।

अनुच्छेद 22

समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का धिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के उस स्वतंत्र विकास तथा गौरव के लिए–जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अंतर्रायष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधनों के अनुकूल हो–अनिवार्यतः आवश्यक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है।

अनुच्छेद 23

1. प्रत्येक व्यक्ति को का करने, इच्छानुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित और संविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेकारी से सरक्षण पाने का हक है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान मजदूरी पाने का अधिकार है।
3. प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करता है, अधिकार है कि वह इतनी उचित और अनुकूल मजदूरी पाए, जिससे वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए ऐसी आजीविका का प्रबंध कर सके, जो मानवीय गौरव के योग्य हो तथा आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति अन्य प्रकार के सामाजिक संरक्षणों

द्वारा हो सके।

4. प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उनमें भाग लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद 24

प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। इसके अंतर्गत काम के घंटों की उचित हदबंदी और समय समय पर मजदूरी सहित छुट्टियॉ सम्मिलित है।

अनुच्छेद 25

1. प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार क स्वास्थ्य एवं कल्याण क लिए पर्याप्त हो। इसके अंतर्गत खाना, कपडा, मकान, चिकित्सा संबंधी सुविधाऍ और आवश्यक सामाजिक सेवाऍ सम्मिलित है। सभी को बेकारी, बीमारी, असमर्थता, वैधव्य, बुढापे या अन्य किसी ऐसी परिस्थिति में आजीविका का साधन न होने पर जो उसके काबू के बाहर हो, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।
2. जच्चा और बच्चा को खास सहायता और सुविधा का हक है। प्रत्येक बच्चे को चाहे वह विवाहिता माता से जन्मा हो या अविवाहिता से जन्म हो या अविवाहिता से, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होगा।

अनुच्छेद 26

1. प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा से कम प्रारंभिक और बुनियादी अवस्थाओं में निःशुल्क होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। टेक्निकल, यांत्रिक और

पेशों संबंधी शिक्षा साधारण रूप से प्राप्त होगी और उच्चतर शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान रूप से उपलबध होगी।

2. शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं पे प्रति सम्मान की पुष्टि। शिक्षा द्वारा राष्ट्रों, जातयों अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता और मैत्री का विकास होगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रों के प्रयत्नों को आगे बढ़ाया जाएगा।
3. माता पिता को सबसे पहले इस बात का अधिकार है किवे चुनाव कर सकें कि किस किस्म की क्षिक्षा उनके बच्चों को दी जाएगी।

अनुच्छेद 27

1. प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं का आनंद लेने, तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का हक है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसका रचयिता वह स्वयं हो।

अनुच्छेद 28

प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद 29

1. प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो।
2. अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्त केवल ऐसी ही सीमाओं द्वारा बद्ध होगा, जो कानून द्वारा निश्चित की जाएँगी और जिनका एकमात्र उद्देश्य दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए आदर और समुचित स्वीकृति की प्राप्ति होगा तथा जिनकी आवश्यकता एक प्रजातंत्रात्मक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकताों को पूरा करना होगा।
3. इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्ट्रों के सिद्धांतों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30

इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है, जिसका उद्देश्य यहॉ बताए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का भी विनाश करना हो।

हाइलाइट

- किन्नर तीसरे लिंग के हैं।

- अपने लिंग पहचानने का अधिकार पल्लिंग / स्त्रीलिंग / तीसरे लिंग

- किन्नर बहुत पिछड़े वर्ग के हैं।

- भय, कलंक, लिंग डिसफोरिया, सामाजिक दबाव, आत्महत्या की प्रवृत्ति, सामाजिक कलंक और लिंग को बदलने की सर्जरी के लिए कउन्सिल केंद्र हैं।

- सरकारी अस्पताल में उच्च चिकित्सा सेवा

- अलग सार्वजनिक शौचालय

- सरकारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ बनाएँ।

- समाज में उन्हें स्वीकार करने की जागरूकता

वी. एच.एस. एम.एस.ए. दिवा कार्य की विभिन्नता परियोजना

- समर्थन – यूनैटड नेशन्स डेवेलेप्मेंट प्रोग्राम एशिया–पसिफिक रीजिनल सेंटर –मल्टी कंट्री साउथ एशिया ग्लोबल फंड एच.ऐ.वी. प्रोग्रोम
- मददगार– नेशनल एय्ड्स कंट्रोल आर्गनैसेशन, स्वास्थ्य और कुटुंब कल्याण विभाग और स्टेट एय्ड्स कंट्रोल समाज
- लक्ष्य – कम्यूनिटी सिस्टम्स स्ट्रन्तनिंग के द्वारा भेद्यता, एय्ड्स नर दूसरे नर से मिलना, हिजड़ा और किन्नर इनके प्रभाव को कम करना

उद्देश्य

- एय्ड्स की सुरक्षा बढ़ाना, उनकी देखभाल करना
- किन्नर और एच.ऐ.वी संबंधित विषय कापर्यावरण नीति बढ़ाना
- रणनीतिक ज्ञान बढाना
- छः राज्यों में कार्यान्वित करना तमिलनाडु, केरला, मुबई, उ.प्र., दिल्ली और ओड़िसा